न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 11/2022
3. उनवान : जोधाराम पुत्र श्री श्योराम निवासी ग्राम मोरडी खुर्द, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
   बनाम
   राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 29-08-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री हजारी लाल शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.07.2022 मु0नं0 27/2022 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम जोधाराम

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोरडी खुर्द, तहसील फुलेरा जिला जयपुर स्थित अपीलान्ट के लगभग 50 साल पुराने आवासीय दो पक्के कमरे, एक कच्चा कमरा को हल्का पटवारी दोबडी द्वारा बिना कोई नाप किये स्वविवेक से आराजी खसरा नंबर 134 गै.मु. तलाई व खसरा नंबर 67/324 चारागाह में निर्मित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के उपरान्त जवाब पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना व व साक्ष्य/सबूत इत्यादि का माकुल अवसर दिये बिना मौके पर कब्जे की जांच किये बिना निर्णय दिनांक 29.07.2022 पारित किया गया। अपीलान्ट के पिताजी श्री श्योराम बलाई पुत्र श्री बिन्जाराम बलाई द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व चदरदार कमरा व अपीलार्थी ने लगभग 30 वर्ष पूर्व कच्चा कमरा व बाडा का निर्माण स्वयं की आय से करवाने के पश्चात अपीलार्थी के पिताजी द्वारा विद्युत विभाग से बिजली का कनेक्शन भी नियमानुसार प्राप्त कर तीन फेस का विद्युत कनेक्शन जारी हुआ है। अपीलार्थी का जन्म उक्त जगह पर ही हुआ है। उक्त जगह पर अपीलार्थी के पिताजी ने आटा चक्की भी लगा रखी है। अपीलार्थी मौके पर 50 वर्षों से काबिज है। हल्का पटवारी ने मौके की जांच किये बिना ही अपीलार्थी का मकान खसरा नंबर 134 में मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि अपीलार्थी के मकानात आराजी खसरा नंबर 134 के दक्षिण की ओर लगवा खसरा नंबर 145 गै.मु. आबादी की सीमा में स्थित है। अपीलार्थी के मकान के आस–पास अन्य मकानात बने हुए हैं तथा काफी आबादी बसी हुई है, मौके पर कोई तलाई इत्यादि नहीं है, ना ही कोई पानी इत्यादि का भरवा अपीलार्थी के मकान के आस–पास है। लगभग 20 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय आबादी के सुगम आवागमन के उद्देश्य से नियमानुसार सीमेन्ट की सडक मौके पर बनवा रखी है, जो अपीलार्थी के मकान के दोनों तरफ है। हल्का पटवारी ने बिना नाप–जोख किये ही अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेजात मौजूद नहीं है, जिससे साबित हो कि अपीलार्थी का मकान खसरा नंबर 134 में स्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने स्तर पर कोई नाप–जोख व सीमाज्ञान इत्यादि नहीं करवाया। हल्का पटवारी दोबडी द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि गैर मुमकिन तलाई बताया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को चारागाह माना गया है, इसलिये रिपोर्ट व निर्णय में विरोधाभाष है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति राशि से

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दण्डित किया गया है, उसके योग में भी विरोधाभाष है। लगान का 0.05 का 50 गुणा 2.50 रूपये होते हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति नियमों के विपरीत 2.50 रूपये के बजाय 3 रूपये से दण्डित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय कतई परवर्स आर्बीट्रेरी, कोन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण अपीलधीन निर्णय खारिज योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा, मु0 सांभरलेक, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2022 को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार फुलेरा ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम मोरडीखुर्द तहसील फुलेरा की आराजी खसरा नंबर 134 किस्म गै.मु. तलाई व खसरा नंबर 67/324 किस्म चारागाह, जो कि राजकीय भूमि है, कि नाप–जोक/सीमाज्ञान पटवारी हल्का दोबडी व भू0अ0 निरीक्षक हबसपुरा द्वारा दिनांक 21.01.2022, 22.01.2022 व 05.05.2022 को किये जाने पर मौके पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाए जाने पर ही भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तहसील कार्यालय में दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत करने पर विधिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को जावक कमांक 469 दिनांक 06.07.2022 से नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2022 को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया, परन्तु कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जबकि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत माकुल अवसर दिया गया था। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अतिकमी/अपीलार्थी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का निर्णय दिनांक 29.07.2022 पारित किया गया, जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी के अर्द्ध पक्का मकान/बाडा खसरा नंबर 145 किस्म गै.मु. आबादी में स्थित ना होकर खसरा नंबर 67/324 किस्म चारागाह व खसरा नंबर 134 किस्म गै0मु0 तलाई में स्थित है, जो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में है। पटवारी हल्का दोबडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ख0नं0 134 की किस्म गै0मु0 तलाई व खसरा नंबर 67/324 की किस्म चरागाह है एवं अपीलार्थी का अतिक्रमण उक्त दोनों खसरा नंबरों में संयुक्त रूप से है तथा शास्ति राशि 2.50 रूपये के बजाय 3 रूपये आरोपित किये जाने का कारण राशि को 1 रूपये के गुणक में वसूली करने योग्य होना है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि चदरदार कमरा व अपीलार्थी ने लगभग 30 वर्ष पूर्व कच्चा कमरा व बाडा का निर्माण स्वय की आय से करवाया था तथा विद्युत विभाग से बिजली का कनेक्शन भी प्राप्त किया। उक्त जगह पर अपीलार्थी के पिताजी ने आटा चक्की भी लगा रखी है। हल्का पटवारी ने मौके की जांच किये बिना ही अपीलार्थी का मकान आराजी खसरा नंबर 134 गै.मु. तलाई व खसरा नंबर 67/324 चारागाह में निर्मित होना मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि अपीलार्थी के मकानात आराजी खसरा नंबर 134 के दक्षिण की ओर लगवा खसरा नंबर 145 गै.मु. आबादी की सीमा में स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सीमेन्ट की सडक अपीलार्थी के मकान के दोनों तरफ है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.08.2022 में खसरा नंबर 148 के आबादी भूमि का अंकन किया गया है, वो जमाबंदी अनुसार अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे एवं बिना सीमाज्ञान करवाये ही अपीलधीन निर्णय

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम मोरडीखुर्द तहसील फुलेरा की आराजी खसरा नंबर 134 किस्म गै.मु. तलाई व खसरा नंबर 67/324 किस्म चारागाह, जो कि राजकीय भूमि है, कि नाप–जोक/सीमाज्ञान पटवारी हल्का दोबडी व भू0अ0 निरीक्षक हबसपुरा द्वारा दिनांक 21.01.2022, 22.01.2022 व 05.05.2022 को किये जाने पर मौके पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाए जाने पर ही भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को दिनांक 06.07.2022 को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2022 को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया, परन्तु कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जबकि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत माकुल अवसर दिया गया था। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अतिकमी/अपीलार्थी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का निर्णय दिनांक 29.07.2022 पारित किया गया, जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी के अर्द्ध पक्का मकान/बाडा खसरा नंबर 145 किस्म गै.मु. आबादी में स्थित ना होकर खसरा नंबर 67/324 किस्म चारागाह व खसरा नंबर 134 किस्म गै0मु0 तलाई में स्थित है, जो राजकीय भूमि पर अतिकमण की श्रेणी में है। पटवारी हल्का दोबडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ख0नं0 134 की किस्म गै0मु0 तलाई व खसरा नंबर 67/324 की किस्म चरागाह है एवं अपीलार्थी का अतिकमण उक्त दोनों खसरा नंबरों में संयुक्त रूप से है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन तथा पत्रावली एवं तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन विवादित आराजीयात खसरा नंबर 134 किस्म गै.मु. तलाई व खसरा नंबर 67/324 किस्म चारागाह ग्राम मोरडी खुर्द, पटवार मण्डल दोबड़ी तहसील फुलेरा जिला जयपुर में अपीलार्थी का अतिकमण मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली से पुष्ट है। अपीलार्थी का अतिकमण व कब्जा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं फर्द मौका से पुष्ट है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करवा कर ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही में विधि के प्रावधानों एवं प्रकियाओं की पूर्ण पालना पुष्ट होने से अपील खारिज योग्य ज्ञात होती है।

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।